

[2024:RJ-JP:31022]

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12729/2020

प्राचीन चौधरी पुत्र श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी प्लॉट
नंबर 4, वीर तेजाजी, ब्यावर रोड, दोराई, जिला अजमेर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव के माध्यम से, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त सचिव, राजस्थान सरकार, खान (समूह-2) विभाग, सचिवालय,
जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक, खान (ई एंड डी), खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान सरकार, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, कोर्ट सर्किल, उदयपुर
4. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सीकर
5. सहायक खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीम का थाना

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री अश्विनी कुमार चोबिसा
--------------------	---	---------------------------

प्रतिवादी के लिए	:	श्री राहुल लोढ़ा, ए.जी.सी.
------------------	---	----------------------------

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

आदेश

23/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका अपील को कालातीत होने के कारण खारिज किए जाने से व्यथित होकर दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर में 1.00 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए खनिज चिनाई पत्थर के लिए पट्टा प्रदान किया गया था। पट्टा विलेख प्रारंभ में बीस वर्षों के लिए था, हालांकि, राजस्थान खान और खनिज रियायत नियम, 2017 के लागू होने के साथ, पट्टा अवधि प्रारंभिक अनुदान से पचास वर्ष हो जाती। 20.05.2013 को, याचिकाकर्ता को खदान संचालन में कमियां बताते हुए नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता नोटिस का जवाब देने में विफल रहा और कार्यवाही 16.01.2014 के आदेश में

परिणत हुई, जिसमें पट्टा विलेख रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने 17.11.2017 को विलंब क्षमा के लिए एक आवेदन के साथ पहली अपील दायर की। अपील को कालातीत होने के कारण खारिज कर दिया गया। दूसरी अपील में कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से परेशान था और पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही से अवगत नहीं था। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 में 20.05.2013 के नोटिस में उल्लिखित सभी कमियों का अनुपालन किया है।
4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित आदेश का बचाव करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि पट्टा विलेख रद्द करने का आदेश याचिकाकर्ता के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया था और वह अदत वापस नहीं मिला। यह तर्क दिया गया है कि अपील दायर करने में तीन साल से अधिक की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं था।
5. पट्टा विलेख 16.01.2014 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। अपील नवंबर, 2017 में यानी 3.5 साल से अधिक की देरी के बाद दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष निवेदन किया कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से परेशान था और पट्टा विलेख के रद्द होने से अवगत नहीं था। 25.04.2017 को आदेश की

प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद ही अपील दायर की गई थी। प्रतिवादियों ने पुष्ट किया था कि पट्टा विलेख रद्द करने का आदेश याचिकाकर्ता के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया था। याचिकाकर्ता की बीमारी का कोई चिकित्सा साक्ष्य न तो अपीलवीय प्राधिकारी के समक्ष और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने ओरिएंटल अरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अन्य में, जो **2010 (5) SCC 459** में रिपोर्ट किया गया है, निम्नानुसार कहा है:-

"हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है। परिसीमा का कानून लोक नीति पर आधारित है। विधायिका का उद्देश्य पक्षों के अधिकारों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें और बिना देरी के उपाय की तलाश करें। विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायिका द्वारा निर्धारित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, परिसीमा का कानून वह अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर कानूनी क्षति का निवारण करने के लिए कानूनी उपाय का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही, न्यायालयों को विलंब क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है, यदि निर्धारित समय के भीतर उपाय का लाभ न

उठाने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाता है। भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और इसी तरह के अन्य कानूनों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" इतनी पर्याप्त लचीली है कि न्यायालयों को कानून को एक सार्थक तरीके से लागू करने में सक्षम बनाती है जो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

हालांकि, विलंब क्षमा के आवेदनों से निपटने में कोई कठोर और तेज नियम नहीं बनाया जा सकता है, इस न्यायालय ने कम अवधि के विलंब को क्षमा करने में उदार दृष्टिकोण अपनाने और अत्यधिक विलंब होने पर सख्त दृष्टिकोण अपनाने की न्यायोचित रूप से वकालत की है।"

7. इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने पुंडलिक जालम पाटिल (डी) बनाम एक्से. इंजी. जलगांव मीडियम प्रोजेक्ट और अन्य में, जो **2008 (17) SCC 448** में रिपोर्ट किया गया , निम्नानुसार कहा है:

"यह उसका कर्तव्य था कि वह न्यायालय के समक्ष विचार के लिए अपीलें प्रस्तुत करे जो उसने नहीं किया। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य अपीलों को प्राथमिकता देने में लंबे

समय तक अपने अधिकार की उपेक्षा का सुझाव देते हैं।
न्यायालय साम्या के आधार पर विलंबित और बासी दावों
की जांच नहीं कर सकता है। विलंब साम्या को पराजित
करता है। न्यायालय उन लोगों की मदद करता है जो
सतर्क हैं और 'अपने अधिकारों पर निष्क्रिय न रहें'।"

8. विचाराधीन मामले में, याचिकाकर्ता ने केवल एक निराधार बयान दिया कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से परेशान था और कार्यवाही से अवगत नहीं था, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पर्याप्त कारण के अभाव में विलंब को यांत्रिक रूप से क्षमा नहीं किया जा सकता है। यह देखते हुए कि तीन साल से अधिक का अत्यधिक विलंब है और विलंब को क्षमा करने के लिए स्वीकार्य कोई स्पष्टीकरण नहीं है, आक्षेपित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

मोनिता/94

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE
Office At-
O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road,
Jaipur- 302018
M:- (+91)9001197999
R/5754/2022

Mitali